20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित 88

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0)

निग -545-II-16

1) कौशल्या पत्नि छोटेलाल पटेल

2) अमनियाँ पत्नि मंगलदीन पटेल

साकिन ग्राम लुगासी, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म0प्र0)

श्री ... द्वारा आज दि. 15/02/16 को प्रस्तुत

-- निगरानीकर्तागण

॥ विरुद्ध ॥

म0 प्र0 शासन -- उत्तरवादी

15-2-16 ... मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन/निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू0 राज0 संहिता :-

अधीक्षक भू-अभिलेख छतरपुर के द्वारा पारित प्रकरण क्रं. 15/अ-6 अ/ 2014-2015 के पालनार्थ में।

15/02/16

आवेदकगण/निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1) यह कि, आवेदकगणों/निगरानीकर्तागणों के स्वामित्व एवं मौका कब्जा की जमीन मौजा स्थित लुगासी तहसील नौगांव जिला छतरपुर खसरा नंबर 5762 रकबा 1.00 हे0 एवं खसरा नंबर 5192 रकबा 1.00 हे0 पर कई वर्षों से लगायत व वर्तमान में निगरानीकर्तागण/आवेदकगण की है व वह मौके पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं।

2) यह कि, बन्दोबस्त के पश्चात साबिक नम्बर से हाल के नम्बरों का निर्माण करते वक्त स्थल स्थिति एवं मौका का नक्शा का ध्यान न रखते हुये अभिलेख का निर्माण किये जाने से बन्दोबस्ती की त्रुटि उत्पन्न हुयी जिसका निराकरण हेतु आवेदकगण/निगरानीकर्तागणों ने अधीक्षक भू-अभिलेख छतरपुर के यहां आवेदन दिया।

कार्यालय ... अधिवक्ता, ग्वालियर

3) यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगणों/निगरानीकर्तागणों का आवेदन स्वीकार कर उपरोक्त सर्वे नम्बरों के संबंध

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

1. कौशल्या पत्नि छोटेलाल 2. अमनिया पत्नि मंगलदीन ग्राम लुगासी नौगांव,छतरपुर विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन

प्रकरण कमांक 545- II /16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारे अभि.के हस्ता
16-2-18	यह निगरानी अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक १५ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दि. ५-६-२०१५ के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ३/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि आवेदकगण ने अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके स्वामित्व की ग्राम लुगासी स्थित भूमि सर्वे नंबर ५५९३/१/१ एंव ५५९३/१/२ रकबा एक-एक हैक्टर पर मौके पर कब्जा नही है वर्तमान अभिलेख में सर्वे नंबर ५७६२, ५१९२ के रकबा एक-एक हैक्टर पर म.प्र.शासन दर्ज है। बंदोवस्त के पश्चात् साबिक नंबर से हाल नंबर का निर्माण करते वक्त स्थल स्थिति एंव मौका कब्जा का ध्यान न रखते हुये अभिलेख का निर्माण करने से त्रृटि हुई है जो सुधारी जावे। अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर ने प्रकरण कमांक १५ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ५-६-२०१५ से तदाशय का सॅंशोधन करना स्वीकार किया, परन्तु अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर के आदेश दिनांक ८-५-२०१५ का पालन नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ४/ अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर ने प्र.क. १५ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दि. ८-६-२०१५ के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उक्तांकि भूमि की मौके की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-	

"राजस्व निरीक्षक सर्वेक्षणकर्ता ने शासन व्दारा जारी अधिसू... उपरांत मजरा टोला को मूल ग्राम से प्रथक कर नवीन ग्राम बनाये जाने की प्रक्रिया के तहत सर्वेक्षण के समय पाया गया कि बंदोवस्त के पश्चात साबिक नंबर से हाल नंबर का निर्माण किये जाने में त्रृटि की गई है क्योंकि निर्माण के समय मौका कब्जा तथा रकबा की कमी होने से वर्तमान में विवाद की स्थिति बनी हुई है सर्वेक्षण पश्चात बंदोवस्त की त्रृटि को सुधार कर अभिलेख अद्यतन किये जाने की दृष्टि से परिवर्तन तालिका मय जांच प्रतिवेदन के प्रस्तुत है।''

अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर ने आदेश दिनांक ५-६-१५ से निर्णय लिया है प्रस्तुत परिवर्तन तालिका प्रदर्स पी-१ के आधार पर आवेदकगण के नाम खसरा नंबर ५७६२, ५७९२ रकबा क्रमशः १.००, १.०० हैक्टर पर नाम तथा आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व के खसरा नंबर ५५९३/१/१, ५५९३/१/२ कुल रकबा २.०० हैक्टर पर म०प्र०शासन का नाम किया जावे।

५/ अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर (राजस्व अधिकारी) व्दारा मौके का भौतिक सत्यापन कराकर वास्तविक स्थिति पर आधारित पारित उक्तादेश का अधीनस्थों व्दारा अमल न किया जाना कृषकों के साथ न्याय न देने की स्थिति दर्शाता है क्योंकि अपील/निगरानी के अभाव में अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक १५ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ५-६-२०१५ अंतिमता ले चुका है जिसका पालन अनिवार्य है। तद्नुसार निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि अ अधीक्षक भू अभिलेख, जिला छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक १५ अ-६-अ/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ५-६-२०१५ का अमल अभिलेख में कराया जाय।

सदस्य